

प्रश्न सं. [क. 6509]

परिशिष्ट-अ

मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च 2021 प्रश्न क्रमांक 6509 द्वारा श्री उमाकांत शर्मा
मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना

क्र.	कार्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम	ग्राम	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण			एजेंसी/ निविदाकार का नाम	भौतिक स्थिति	अवगतन व्यय (रु. लाख में)	टिप्पणी
							क्र.	दिनांक	लागत (रु. लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर ग्राम बरेठ	कुरवाई	बासोदा	बरेठ	बरेठ	7385	30.05.18	138.29	मेसर्स राजेन्द्र सिंह देवरा	पूर्ण	109.13		
2	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर ग्राम हमिदपुर	बासोदा	बासोदा	श्यावदा	हमिदपुर	7385	30.05.18	174.7	मेसर्स राजेन्द्र सिंह देवरा	पूर्ण	92.11		
3	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर ग्राम सिराजनगर	सिराँज	लटेरी	खैरखेडी	सिराज नगर	7385	30.05.18	170.39	-	निरस्त	0.00		आयुक्त पंचायत राज संचालनालय भोपाल के आदेश क्र. 9735 दिनांक 24.07.2019 के द्वारा स्वीकृति निरस्त ।
4	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर ग्राम चुनियाखोह	सिराँज	सिराँज	चुनियाखोह	खामखेडा	13892	26.09.18	80.99	-	अप्रारंभ	0.00		बनर्देश प्रभावित, वन विभाग से अनुमति अप्राप्त
	योग :-							564.37			201.24		

2/10/18
05-10-18

परिशिष्ट 'ब'

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश

//आदेश//

क्रमांक/पंचा.राज./आर-2-57/निर्माण 2018-19/13892

मोपाल दिनांक 26/09/2018

मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के अंतर्गत जिला विदिशा में सरोवर निर्माण (सिचाई/निस्तार) के लिये निम्नानुसार कुल राशि रुपये 80.99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कार्य की तकनीकी स्वीकृति का विवरण	
				दिनांक/क्र.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सिरौज	चुनियाखोह	खामखेड़ा	605/10.09.18	80.99
				योग	80.99

शर्त :-

- 1- कार्य की निर्माण ऐजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होगी।
- 2- निर्माण कार्य नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति अनुसार किये जावेगे।
- 3- निर्माण कार्य की गुणवत्ता अधीक्षण यंत्री द्वारा सुनिश्चित की जावे।
- 4- निर्माण कार्य में योजना के मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
- 5- निर्माण कार्य की प्रथम किश्त ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को पंचायत राज संचालनालय की योजना क्रमांक 4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क दरगती के निरुद्ध अनुदान मद से देय होगा। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 60 प्रतिशत कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत करने पर संचालनालय द्वारा द्वितीय किश्त की राशि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जारी की जा सकेगी।
- 6- निर्माण कार्य में शासन के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 7- निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण करना होगा।



T.C. / SAE / Am(S)
08-10-18

शमीम उद्दीन
संचालक
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

पृ.क्रमांक/पंचा.राज./आर-2-57/निर्माण 2018-19/13893
प्रतिलिपी,

भोपाल दिनांक 26/09/2018

- 1- संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग की ओर सूचनाथे।
- 2- कलेक्टर जिला विदिशा की ओर सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर कार्य की मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा की ओर पालनाथे।
- 5- संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत निर्माण कार्य की प्रथम किश्त की राशि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से मांग प्राप्त होने पर संचालनालय की योजना क्रमांक 4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद से संभागीय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जारी किया जाये।
- 6- संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला विदिशा की ओर पालनाथे।
- 7- वि.क.अधिकारी मान. मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनाथे।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जन्मपट्ट पंचायत सिराज जिला विदिशा की ओर पालनाथे।
- 9- मैनेजर वेबसाईट/ पंचायिका।

संचालक

पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

क्र० 2689

दि० 10/10/18

प्रतिलिपी -

- (1) अनु० अभि० आ० या० सेवा उपसंभाग सिराज
- (2) श्री वही० की० खैर खबा० यंत्री ग्हा या सेवा संभाग विदिशा।
- (3) व० खैर खैर एवं अकेरेक (सिराज) का० या० सेवा संभाग विदिशा की ओर सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी संभाग
विदिशा (म.प्र.)